HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 1779/2024

Farida Begum W/o Ayub Khan

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Vinod Pathak, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Uma Kant Kumbhaj, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

14/07/2025

आई.ए. 01/2025 पर सुना गया।

प्रत्यर्थी/परिवादी की मृत्यु हो जाने से उनके विधिक प्रतिनिधियों को आवेदन में वर्णित कारणों को देखते हुए अभिलेख पर लिया जाता है। संशोधित वाद शीर्षक पेश हो रखा है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।

तदनुसार आई.ए. संख्या 01/2025 स्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

प्रत्यर्थी/परिवादी के सभी विधिक प्रतिनिधिगण की ओर से उपस्थिति दी गयी तथा निवेदन किया कि कार्यालय में आज ही वकालतनामा पेश कर देंगे।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वकालतनामा पेश होने पर उनका नाम दैनिक वाद सूची में दर्शित किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता याची ने निवेदन किया कि पक्षकारान् के मध्य राजीनामा हो चुका है, उसकी विपरीत आर्थिक परिस्थिति रही है, अतः राजीनामा के आधार पर निगरानी याचिका स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

सुना गया, प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया।

यद्यपि प्रकरण में याची–अभियुक्त की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय नियम, 1952 के नियम 311(3) की पालना नहीं की है तथा प्रकरण में फरार

चल रहा है, लेकिन अभियुक्त का आर्थिक रूप से कमजोर होना बताया है, अतः सभी परिस्थितियों को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2010(5) एस.सी.सी. 663 Damodar S. Prabhu Vs. Sayed Babalal में प्रतिपादित सिद्धान्त को देखते हुए आदेश दिया जाता है कि यदि याची–अभियुक्त 50,000/– रूपये की राशि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष जमा कराकर उसकी रसीद रजिस्ट्रार (न्यायिक) के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर देता है तो पक्षकारान् की ओर से प्रस्तुत राजीनामा को तस्दीक किये जाने की कार्यवाही की जावे।

पक्षकारान् को निर्देशित किया जाता है कि वे रजिस्ट्रार (न्यायिक) के समक्ष राजीनामा सत्यापन कार्यवाही हेतु दिनांक 22.07.2025 को उपस्थित रहें।

राजीनामा सत्यापन कार्यवाही के पश्चात प्रकरण दिनांक 24.07.2025 को पुनः सूचीबद्ध हो।

(UMA SHANKER VYAS),J

Mittal /65